न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 102

प्रकरण संख्या 44 / 22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री जहुर हुस्सैन बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार

निर्णय

दिनांक : 06.07.2022

1. प्रार्थी श्री जहुर हुसैन पिता जाकिर हुसैन निवासी ग्राम जसवंतपुरा तह. कानोड द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा जसवंतपुरा पटवार मण्डल सारंगपुरा (कानोड़) जमाबन्दी सम्वत् 2078–81 के खाता संख्या 01 आराजी नम्बर 732 रकबा 1.0500 हैक्टेयर भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकर्ड है। उपरोक्त भूमि बन्दोबस्त से पूर्व मौजा ग्राम जसवंतपुरा पटवार मण्डल सारंगपुरा कानोड की जमाबन्दी 2051–54 में खाता संख्या 97 आराजी नम्बर 420 / 18 रकबा 5–00 बीघा जहुर हुसैन, जाकिर हुसैन पिता अल्लानुर, मुमताज बेगम पत्नी अन्नानूर जाति मुसलमान निवासी कानोड खातेदार दर्ज थी, जिसके पश्चात नवीन सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2078–81 के खाता संख्या 01 आराजी नम्बर 732 रकबा 1.0500 हैक्टेयर भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दी गई जिसे दुरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

2. अतः तहसीलदार कानोड़ ने राजस्व रिकॉर्ड एवं नामान्तकरण के अवलोकन के पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा जसवंतपुरा पटवार मण्डल सारंगपुरा (कानोड़) जमाबन्दी सम्वत् 2051–54 में खाता संख्या 97 आराजी नम्बर 420 / 18 रकबा 5–00 बीघा जहुर हुसैन, जाकिर हुसैन पिता अल्लानुर, मुमताज बेगम पत्नी अन्नानूर जाति मुसलमान निवासी कानोड खातेदार दर्ज थी, जिसके पश्चात नवीन सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2078–81 के खाता संख्या 01 आराजी नम्बर 732 रकबा 1.0500 हैक्टेयर भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दिया गया है जिसमें तहसीलदार कानोड ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व रेकर्ड एवं नामान्तकरण के अवलोकन के पश्चात आराजी संख्या 732 रकबा 1.0500 हैक्टेयर भूमि पर खातेदार [illegible] की मय अनुशंषा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:02 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं तहसीलदार कानोड़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं मान[illegible] राजस्व मण्डल के अपील / एल.आर. / 6933 / 2011 / उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (12) राज. 16 / 92 / 26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं पत्रावली के तथ्य जिससे मौजा जसवंतपुरा पटवार मण्डल सारंगपुरा (कानोड)

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर (जिला–उदयपुर राज.)

जमाबन्दी सम्वत् 2051–54 में खाता संख्या 97 आराजी नम्बर 420/18 रकबा 5–00 बीघा जहुर हुसैन, जाकिर हुसैन पिता अल्लानुर, मुमताज बेगम पत्नी अल्लानूर जाति मुसलमान निवासी कानोड़ खातेदार दर्ज थी, जिसके पश्चात नवीन सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2078–81 के खाता संख्या 01 आराजी नम्बर 732 रकबा 1.0500 हैक्टेयर भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दिया गया है जिसमें जिसमें तहसीलदार कानोड़ द्वारा प्रस्तुत मय अनुशंषा रिपोर्ट अनुसार भू–प्रबन्धन से पूर्व की स्थिति अनुसार जहां प्रार्थीगण का कब्जा होकर काश्त कर रहे है जिसे प्रार्थीगण जहुर हुसैन, जाकिर हुसैन पिता अल्लानुर, मुमताज बेगम पत्नी अल्लानूर जाति मुसलमान निवासी कानोड़ के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम जसवंतपुरा पटवार मण्डल सारंगपुरा (कानोड) जमाबन्दी सम्वत् 2078–81 के खाता संख्या 01 आराजी नम्बर 732 रकबा 1.0500 हैक्टेयर भूमि जो बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार जहुर हुसैन, जाकिर हुसैन पिता अल्लानुर, मुमताज बेगम पत्नी अल्लानूर जाति मुसलमान निवासी कानोड के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कानोड़ राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

5. निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:02 IST
Reason: SelfAttested